



College of Agriculture

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner - Jaipur)

Jhilai (Niwai)- 304025 Tonk (Rajasthan)

Dr. R. P. Jat
DEAN

Ph. No. 09414416121; 09413119804

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

No.F. /Estt./COAJ/2023/301

Dated: 24.07.2023

सीमित निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय झिलाई में वर्ष 2023-24 में किसान मेला/प्रशिक्षण/संगोष्ठी में भोजन की व्यवस्था हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है, इस कार्य में इच्छुक भोजन आपूर्तिकर्ताओं जिनके पास जी.एस.टी नं. व बैंक खाता हो वह दिनांक 26.07.2023 दोपहर 12.00 बजे तक बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में अपनी निविदा इस कार्यालय में जमा करवा सकता है। प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं यदि कोई हो तो उनके समक्ष निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेगी। इस कार्य की अनुमानित कीमत अधिकतम रुपये 200000/- (दो लाख) होगी। निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस निविदा की सूचना विश्वविद्यालय के पोर्टल www.sknau.ac.in पर भी उपलब्ध है।

श्रेणी	उप श्रेणी	समग्री विवरण	दर
वीआईपी	भोजन	पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, दाल, रायता, चावल पुलाव, सलाद, चपाती, गुलाब जामुन एवं आईसक्रीम।	
	नास्ता	रोस्टेड ड्राई फ्रूट, मिठाई, फल, कॉफी	
सादा	भोजन	पुडी, सब्जी, आचार, मिठाई	
	नास्ता	मिठाई, कचोरी, केला, चाय	

शर्तें:-

1. खाना बनाने में उच्च कोटी की खाद्य सामग्री, शुद्ध आटा, ताजा सब्जी, मूंगफली, तेल देशी घी एगमार्का का होना आवश्यक है।
2. खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, बिछाने की दरी पट्टी, पीने के पानी इत्यादि व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी।
3. भोजन में किसी भी प्रकार की शिकायत व फूड पोइजनिंग की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी भोजन आपूर्तिकर्ता की होगी।
4. यह दरें वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य होगी।
5. भोजन आपूर्तिकर्ता को पैनकार्ड, फूड लाइसेंस, जीएसटी नं., बैंक पासबुक की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. भूगतान बिल प्रस्तुत करने के पश्चात कोश कार्यालय से पारित होने पर कर दिया जावेगा। नियमानुसार TDS काटा जायेगा। पार्टी द्वारा बीच में ठेका छोड़ने पर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. सफल निविदादाताओं को अमानत राशि 5000 रुपये (पांच हजार रुपये) नकद/डीडी से जमा करवानी होगी।
8. कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी/प्रशिक्षण प्रभारी समय-2 पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे।
9. किसी भी प्रकार की जोखिम और दुर्घटना के लिए कृषि महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी

1. वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।
2. प्रभारी अधिकारी सिमका को भेजकर लेख है की इस निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
4. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय, झिलाई।


अधिष्ठाता